UP POLICE SI Syllabus / Exam Pattern 2025

3 भर्ती की प्रक्रिया

- i. उप निरीक्षक ना0पु0(पुरूष / महिला) तथा महिला बटालियन में महिला उप निरीक्षक नागरिक पुलिस(पीसी) के पदों पर चयन "उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली—2015 (यथासंशोधित-अष्टम संशोधन तक) के अधीन किया जायेगा।
- ii. प्लाटून कमाण्डर पीएसी / उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस के पदों पर चयन ''उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2015 (यथासंशोधित-प्रथम संशोधन तक) के अधीन किया जायेगा।

Page 7 of 36

iii. प्लाटून कमाण्डर / उप निरीक्षक, विशेष सुरक्षा बल के पदो पर चयन '' उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल नियमावली, 2021 के अधीन किया जायेगा।

3.1 लिखित परीक्षा


'उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली—2015 (यथासंशोधित—अष्टम संशोधन तक), ''उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2015 (यथासंशोधित—प्रथम संशोधन तक) तथा ''उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल नियमावली, 2021 के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन सही पाये जायेगें, उनसे 400 अंको की लिखित परीक्षा में सिम्मिलत होने की अपेक्षा की जायेगी। इस लिखित परीक्षा में निम्नलिखित विषयों का एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा:—

क0सं0	सेक्शन	विषय	प्रश्नों की	अधिकतम
			संख्या	अंक
1	सेक्शन–1	सामान्य हिन्दी	40	100 अंक
2	सेक्शन–2	मूलविधि / संविधान / सामान्य ज्ञान	40	100 अंक
3	सेक्शन—3	संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा	40	100 अंक
. 4	सेक्शन–4	मानसिक अभिरूचि परीक्षा / बुद्धिलिध	40	100 अंक
		परीक्षा / तार्किक परीक्षा		

- i. 'उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली—2015 (यथासंशोधित—अष्टम संशोधन तक),,''उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2015 के नियम—15(यथासंशोधित—प्रथम संशोधन तक) तथा ''उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल नियमावली, 2021 के नियम—10.2 के प्रावधानों के अन्तर्गत लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय (प्रत्येक सेक्शन) में 35 प्रतिशत अंक और कुल 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी, भर्ती के लिए पात्र नहीं होगे।
- ii. बोर्ड लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एकल पाली में अथवा एक से अधिक पाली अथवा एक से अधिक दिनांकों में विभिन्न प्रश्न पत्र के साथ विभिन्न पालियों में कलम और कागज आधारित लिखित परीक्षा ओ०एम०आर० प्रणाली के माध्यम से संचालित करेगा।
- iii. यह लिखित परीक्षा ओ०एम०आर० (OMR) आधारित परीक्षा प्रणाली के अनुसार सम्पन्न करायी जायेगी। लिखित परीक्षा के लिए विस्तृत प्रक्रिया का अवधारण बोर्ड द्वारा किया जायेगा और इसे यथासमय बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।
- iv. लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम <u>परिशिष्ट-1</u> पर संलग्न है।

Page **8** of **36**

- 1) लिखित परीक्षा का समय 02 घण्टे (120 मिनट) होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या <u>160</u> होगी।
- 2) लिखित परीक्षा के चार भाग(सेक्शन) / विषय होगें।
- 3) लिखित परीक्षा ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक पर होगी। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु चार विकल्प होंगे। अभ्यर्थी को उनमें से किसी एक विकल्प को चुनना है, जो प्रश्न का सही उत्तर हो।
- 4) ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक की तीन प्रतियां होंगी जिनमें से मूल प्रति स्कैनिंग (Scanning) के लिये प्रयुक्त होगी, द्वितीय प्रति बोर्ड के अभिलेख हेतु तथा तृतीय प्रति अभ्यर्थी की होगी। अभ्यर्थी द्वारा मूल प्रति अपने साथ लेकर चले जाने पर उसका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।
- 5) लिखित परीक्षा के प्रवेश—पत्र यथासमय बोर्ड की वेबसाइट http://uppbpb.gov.in पर उपलब्ध होंगे, जहां से अभ्यर्थी उसे स्वयं डाउनलोड कर प्राप्त कर सकेंगे।
- 6) लिखित परीक्षा की तिथियों व समय की सूचना यथासमय बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।
- 7) लिखित परीक्षा एक से अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक दिनांकों को विभिन्न पालियों में विभिन्न प्रश्नपत्रों के साथ संचालित कराये जाने की दशा में उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा (सप्तम संशोधन) नियमावली—2020 के नियम—15(ख) की टिप्पणी—(2) के अनुसार ऐसी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के प्रसामान्यीकरण (NORMALIZATION) की कार्यवाही की जायेगी। इस सम्बन्ध में बोर्ड की सूचना/विज्ञप्ति संख्या— पीआरपीबी— एक—1(155)/2023 दिनांक 18.12.2023 में विहित प्रक्रिया अपनायी जायेगी।
- 8) उपरोक्त परिस्थितियो के अधीन जहां कहीं इस विज्ञप्ति में शब्द ''अंक'' आया हो, उसका तात्पर्य प्रसामान्यीकृत ''अंक'' होगा।
- 9) परन्तु यह भी कि भर्ती बोर्ड प्रश्न पत्र के चार विषयों में से प्रत्येक विषय में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त मूल अंको का प्रथमतः प्रसामान्यीकरण करेगा और अन्तिम कुल प्रसामान्यीकृत अंको की गणना समस्त चारो विषयों के प्रसामान्यीकृत अंको को जोड़कर ही की जायेगी।
- 10) अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वह प्रत्येक प्रश्न का एक सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प ही उत्तर के रूप में अंकित करें।



- 11) प्रश्न पत्र में सामान्य हिन्दी विषय को छोड़कर अन्य विषयों के सभी प्रश्न हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में होगें। किसी संशय की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में अंकित प्रश्न मान्य होगा।
- 12) लिखित परीक्षा के उपरान्त बोर्ड द्वारा उत्तर कुंजी प्रकाशित की जाएगी तथा प्रश्नों एवं उत्तर विकल्पों के बारे में अभ्यर्थियों से आपित्तयां आमंत्रित की जायेगी जिस पर अभ्यर्थी अपनी आपित्तयां आन लाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि कोई प्रश्न या उसके सभी उत्तर विकल्प त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो ऐसे प्रश्नों को निरस्त कर दिया जायेगा और उन निरस्त प्रश्नों के अंकों का वितरण मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका सं० 2669(एमबी) / 2009 पवन कुंमार अग्रहरि बनाम उ०प्र० लोक सेवा आयोग में मा० उच्च न्यायालय द्वारा स्थापित व्यवस्था के अनुसार निम्न सूत्र के अनुरूप किया जायेगा :--

सूत्र:— <u>भाग के सही उत्तर X भाग के लिए निर्धारित अंक</u> भाग में सही प्रश्नों की संख्या

13) यदि किसी प्रश्न के एक से अधिक उत्तर विकल्प सही पाये जाते हैं तो ऐसे किसी भी एक सही विकल्प को उत्तर के रूप में अंकित करने पर अभ्यर्थी को पूर्ण अंक प्रदान किये जायेगें किन्तु किसी भी दशा में एक से अधिक विकल्पों को उत्तर के रूप में अंकित करने पर अभ्यर्थी को उस प्रश्न के लिए अंक नहीं दिये जायेगें।

3.2 अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा

लिखित परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी, जो अर्हकारी प्रकृति की होगी। कुल रिक्तियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड द्वारा श्रेष्ठता के आधार पर इस परीक्षा में बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का विनिश्चय किया जायेगा।

1) अभिलेखों की संवीक्षा:--

i. अभिलेखों की संवीक्षा में अभ्यर्थियों को पात्रता, आयु में शिथिलता, अभ्यर्थियों द्वारा अपनी आरक्षण श्रेणी (लम्बवत/क्षैतिज) के दावे की पुष्टि करने वाले अभिलेखीय प्रमाण पत्र, अनिवार्य एवं अधिमानी अर्हता आदि के सम्बन्ध में सुसंगत अभिलेखों के साथ अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण दल के समक्ष उनके अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण के लिए बुलाया जायेगा, जिसके सम्बन्ध में बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से सूचना अभ्यर्थियों के लिए प्रदर्शित की जायेगी।



- ii. अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण के प्रवेश—पत्र यथासमय बोर्ड की वेबसाइट http://uppbpb.gov.in पर उपलब्ध होंगे, जहां से अभ्यर्थी उसे स्वयं डाउनलोड कर प्राप्त कर सकेंगे।
- iii. अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण की तिथियों व समय की सूचना यथासमय बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।
- iv. संवीक्षा / शारीरिक मानक परीक्षण दल के द्वारा आवेदन पत्र में अंकित की गयी सूचना तथा अपलोडेड सुसंगत अभिलेखों का अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए मूल अभिलेखों से मिलान किया जायेगा। अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान प्रस्तुत किये गये मूल प्रमाण—पत्र यदि निर्धारित योग्यता / मानक / नियमावली / शासनादेशों के अनुरूप नहीं पाये जायेंगे तो उन्हे स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा तदनुरूप अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
- v. संवीक्षा के दौरान या संवीक्षा के पश्चात् किसी भी समय किसी भी अभिलेख को छलसाधित, गलत या कूटरचित पाये जाने की दशा में आवेदक का अभ्यर्थन बोर्ड द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा व आवश्यकतानुसार अभ्यर्थी के विरुद्ध विधि के अनुरूप कार्यवाही भी की जायेगी।

2) शारीरिक मानक परीक्षण:--

- (क) पुरूष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है:— (एक) ऊँचाई:
 - (क) सामान्य / अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के पुरूष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
 - (ख) अनुसूचित जनजाति के पुरूष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 160 सेन्टीमीटर होनी चाहिए।

(दो) सीनाः

सामान्य / अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए।

टिप्पणी:--न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है।



- (ख) महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है:— (एक) ऊँचाई:
 - (क) सामान्य / अन्य पिछड़े वर्गो तथा अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 152 सेन्टीमीटर होनी चाहिए।
 - (ख) अनुसूचित जनजातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 147 सेन्टीमीटर होनी चाहिए।
 - (दो) वजनः

महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ४० किलोग्राम।

- 3) अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण की विस्तृत प्रक्रिया का निर्धारण बोर्ड द्वारा किया जायेगा और इसे यथासमय बोर्ड की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के सूचनार्थ प्रदर्शित किया जायेगा।
- 4) यदि कोई अभ्यर्थी अपने शारीरिक मानक परीक्षण से असन्तुष्ट है तो वह परीक्षण के ठीक पश्चात् उसी दिन वहीं आपितत दाखिल कर सकता/सकती है। ऐसी समस्त आपिततयों के समाशोधन के लिए बोर्ड प्रत्येक स्थान पर एक अपर पुलिस अधीक्षक को नोडल अधिकारी नामनिर्दिष्ट करेगा एवं ऐसे समस्त अभ्यर्थियों का शारीरिक मानक परीक्षण उक्त नामनिर्दिष्ट अपर पुलिस अधीक्षक/नोडल अधिकारी की उपस्थिति में संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण दल द्वारा पुनः कराया जायेगा। शारीरिक मानक परीक्षण में पुनः असफल पाये जाने वाले समस्त अभ्यर्थियों को भर्ती हेतु अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा और इस सम्बन्ध में अग्रेतर किसी भी स्तर पर अपील ग्रहण नहीं की जायेगी।
- 5) पूर्व की भर्तियों में मापी गयी ऊँचाई व सीना की माप इस भर्ती में मान्य नहीं होगी। इस भर्ती के शारीरिक मानक परीक्षण के दौरान अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक परीक्षण दल द्वारा की गयी माप ही इस भर्ती में मान्य होगी।
- 6) किसी भी सरकारी / प्राइवेट संस्था से करायी गयी माप इस भर्ती में मान्य नहीं होगी। इस भर्ती के शारीरिक मानक परीक्षण के दौरान अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक परीक्षण दल द्वारा की गयी माप ही इस भर्ती में मान्य होगी।

3.3 शारीरिक दक्षता परीक्षा

i. अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सफल पाये गये अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी जो अर्हकारी प्रकृति की होगी। इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में अर्ह होने के लिए पुरूष अभ्यर्थियों हेतु 4.8 कि0मी0 की दौड़ 28 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी और महिला अभ्यर्थियों हेतु 2.4 कि0मी0 की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी। वे अभ्यर्थी जो विहित समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते है, भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे तथा उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया से बाहर हो जायेंगे।



- ii. शारीरिक दक्षता परीक्षण की विस्तृत प्रक्रिया, बोर्ड द्वारा अवधारित की जायेगी और इसे यथासमय बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।
- iii. चयन परीक्षा को निर्धारित समयाविध में ही पूर्ण करने के उद्देश्य से शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु आहूत होने वाले अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा है कि वे शारीरिक दक्षता परीक्षा की निर्धारित तिथि पर ही उपस्थित हों। किसी भी स्थिति में किसी अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु निश्चित की गयी अन्तिम तिथि के पश्चात शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा। महिला अभ्यर्थियों को भी शारीरिक दक्षता परीक्षा में गर्भवती होने अथवा अन्य किसी कारण से शारीरिक दक्षता परीक्षा की अन्तिम तिथि के पश्चात कोई अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।
- iv. इस परीक्षण को संचालित किये जाने हेतु बोर्ड द्वारा एक समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई डिप्टी कलेक्टर अध्यक्ष होगा और पुलिस आयुक्त / जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई सहायक पुलिस आयुक्त / पुलिस उपाधीक्षक सदस्य होगा। यदि बोर्ड द्वारा अपेक्षा की जाती है तो समिति के अन्य सदस्य जिला मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे।
- v. शारीरिक दक्षता परीक्षा के प्रवेश—पत्र यथासमय बोर्ड की वेबसाइट http://uppbpb.gov.in पर उपलब्ध होंगे, जहां से अभ्यर्थी उसे स्वयं डाउनलोड कर प्राप्त कर सकेंगे।
- vi. शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथियों व समय की सूचना यथासमय बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।
- vii. शारीरिक दक्षता परीक्षण के दौरान स्टेरायड्स/उत्तेजक/नशीला पदार्थ का सेवन करना अनुचित आचरण है, जिसकी पुष्टि हेतु बोर्ड द्वारा आवश्यक जॉच कराकर ऐसे अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त करने की कार्यवाही एवं अन्य विधिक कार्यवाही की जायेगी।

3.4 <u>चयन तथा अन्तिम योग्यता सूचीः</u>—

- i. शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों में से, बोर्ड लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर आरक्षण नीति के दृष्टिगत, बोर्ड रिक्तियों के सापेक्ष प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की श्रेष्टता के कम के अनुसार चयन सूची तैयार करेगा और उसे संस्तुति सहित चिकित्सा परीक्षा / चिरत्र सत्यापन के अधीन विभागाध्यक्ष को प्रेषित करेगा तथा इसे बोर्ड की वेबसाइट पर भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रदर्शित किया जाएगा।
- ii. बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जायेगी।

Page **13** of **36**